प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 2050/2007

याचिकाकर्ता - कालिचरण सूर्यवंशी

बनाम

उत्तरवादीगण - छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

आदेश हेतु दिनांक 27.07.2007 को सूचीबद्ध करें।

सही/-

(सतीश के. अग्निहोत्री)

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 1844/2007

याचिकाकर्ता - कालिचरण सूर्यवंशी, पिता श्री माखनलाल सूर्यवंशी, आयु लगभग 43 वर्ष, निवासी बिरकोना, तहसील एवं जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

बनाम

उत्तरवादीगण - 1.छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, जल संसाधन विभाग, डी.के.एस. भवन, रायपुर (छत्तीसगढ़)

2. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हसदेव कछार, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

3. कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, खरंग, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

4. पुलिस महानिरीक्षक (गोपनीय), रायपुर (छत्तीसगढ़)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिका

एकल पीठ : माननीय न्यायमूर्ति श्री सतीश के. अग्निहोत्री

....

उपस्थितः

याचिकाकर्ता की ओर से श्री पी.आर. पाटणकर, अधिवक्ता ।

उत्तरवादीगण की ओर श्रीमती अंजू आहूजा, उप शासकीय अधिवक्ता।

....

आदेश

(दिनांक 27 जुलाई, 2007 को पारित)

निम्नलिखित आदेश माननीय न्यायमूर्ति श्री सतीश के. अग्निहोत्री द्वारा पारित किया गया:-

(1) भारत के संविधान का अनुच्छेद 226 के अंतर्गत प्रस्तुत इस याचिका द्वारा, याचिकाकर्ता ने दिनांक 15.01.2007 (अनुलग्नक पी.P/5) को उत्तरवादी क्रमांक 2, मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हसदेव कछार, बिलासपुर द्वारा पारित आदेश की वैधता एवं विधिमान्यता को चुनौती दी है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को सेवा से पृथक कर दिया गया।

(2) याचिकाकर्ता को सिंचाई विभाग, खरंग उपखंड, बिलासपुर में दैनिक वेतनभोगी श्रमिक के रूप में नियुक्त किया गया था। प्रकरण क्रमांक 16/I.D.A./K-111-A/03 (संदर्भ) में, मंडलीय दैनिक कार्य-भारित कर्मचारी संघ द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर श्रम न्यायालय ने दिनांक 22.05.2004 (अनुलग्नक पी./1) के आदेश द्वारा, याचिकाकर्ता सहित अन्य कर्मचारियों की सेवाओं को नियुक्ति की तिथि से छह माह पूर्ण होने के पश्चात् नियमित करने तथा उन्हें परिणामी वेतन एवं अन्य लाभ प्रदान करने का निर्देश दिया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(3) उपर्युक्त श्रम न्यायालय के आदेश दिनांक 22.05.2004 के अनुपालन में, उत्तरवादी क्रमांक 2 ने दिनांक 03.09.2005 (अनुलग्नक पी./2) के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता की सेवाओं को अकुशल श्रमिक के रूप में 2550-3200 रुपये के वेतनमान पर नियमित किया। नियमितीकरण के उपरांत, याचिकाकर्ता को सत्यापन प्रपत्र (अनुलग्नक पी./4) भरना आवश्यक था। उक्त सत्यापन प्रपत्र के स्तंभ क्रमांक 12 में निम्नलिखित जानकारी याचिकाकर्ता से भरने के लिए अपेक्षित थी, जो इस प्रकार है:-

> (12) क / क्या आप कभी गिरफ्तार किए गए हैं, क्या आप पर कमी अभियोग चलाया गया है, क्या आप कभी निरूद्ध किये गये या आपसे मुचलका लिया गया है आप पर जुर्माना किया गया है, क्या आप किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोषी ठहराये गये हैं, पर आपके किसी भी लोक सेवा आयोग द्वारा उसके

संचालित परीक्षाओं के किये जाने वाले चयनों में सम्मिलित होने से बर्जित किया गया है, उसके लिए अनह ठहराया गया है या क्या आपको किसी भी परीक्षा में बैठने से वर्जित किया गया है-निष्कासित किया गया है।

ख/ क्या इस अनुप्रमाणन फार्म को भरते समय किसी भी प्रकार न्यायालय, विश्वविघालय या किसी भी शैक्षणिक प्राधिकार संस्था में आपके विरूद्ध कोई मामला लंबित है, यदि (क) अपराध (ख) में पूछे गये प्रश्नों के संबंध में आपके उत्तर हों में हों तो आपकी इस अनुप्रमाणन फार्म को भरते समय मामले में गिर० निरोध जुर्माने दोष सिद्ध तथा दण्डानादेश आदि के पूरे ब्यौरे प्रस्तुत करने चाहिए तथा इस फार्म को भरते समय न्याय० विश्व० वि० शैक्षणिक प्राधिकरण आदि के समक्ष जो मामला लंबित हो उसका स्वरूप बतलाना चाहिए।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(4) याचिकाकर्ता को दिनांक 15.01.2007 (अनुलग्नक पी./5) का सेवा से हटाये जाने आदेश प्राप्त हुआ, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि जांच प्रतिवेदन के आधार पर याचिकाकर्ता को सेवा में बनाए रखना उपयुक्त नहीं पाया गया।

(5) उक्त आदेश से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने यह याचिका प्रस्तुत की, जिसमें दिनांक 15.01.2007 (अनुलग्नक पी./5) के आक्षेपित आदेश को अभिखण्डित करने तथा परिणामी लाभ प्रदान करने हेतु रिट/निर्देश जारी करने की प्रार्थना की गई है।

(6) याचिकाकर्ता ने इस याचिका में दिनांक 15.01.2007 के आदेश की वैधता एवं विधिमान्यता को इस आधार पर चुनौती दी है कि वर्ष 1999 में 'कालिचरण' नामक व्यक्ति के विरुद्ध दर्ज अपराध याचिकाकर्ता से संबंधित नहीं था, बल्कि किसी अन्य कालिचरण नामक व्यक्ति से संबंधित था। याचिकाकर्ता ने आगे यह अभिकथन किया कि उसने कभी किसी दांडिक मुकदमे का सामना नहीं किया, न ही उसे कभी गिरफ्तार किया गया अथवा जेल भेजा गया। उसी नाम (कालिचरण, पिता माखनलाल) का एक अन्य व्यक्ति भी उसी ग्राम का निवासी था, जिसके विरुद्ध वर्ष 1999 में दांडिक प्रकरण

पंजीबद्ध किया गया था। यह भी कहा गया कि याचिकाकर्ता की सेवा बिना समुचित जांच के ही समाप्त कर दी गई।

(7) याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत अधिवक्ता श्री पी. आर. पाटणकर ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को उसके जीवनकाल में कभी गिरफ्तार नहीं किया गया, न ही उसके विरुद्ध कोई दांडिक प्रकरण पंजीकृत हुआ और न ही उसने कभी किसी मुकदमे का सामना किया। अतः, यह कहना कि याचिकाकर्ता ने सत्यापन प्रपत्र के स्तंभ क्रमांक 12 में अपनी गिरफ्तारी अथवा उसके विरुद्ध दर्ज आपराधिक प्रकरण के संबंध में सही जानकारी प्रस्तुत नहीं की, तथ्यात्मक रूप से गलत है तथा किसी भी साक्ष्य पर आधारित नहीं है।

(8) उत्तरवादीगण ने अपने जवाब में यह प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध प्रकरण क्रमांक 10/99, भारतीय दंड संहिता की धारा 107 एवं 116(3) के अंतर्गत तथा अपराध क्रमांक 571/74, भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 457 एवं 380 के अंतर्गत पंजीबद्ध किए गए थे। यह भी कहा गया कि याचिकाकर्ता दांडिक प्रकरण से दोषमुक्त हो गया था, परंतु प्रकरण के पंजीकरण, विचारण एवं दोषमुक्ति से संबंधित जानकारी सत्यापन प्रपत्र में प्रस्तुत नहीं की गई। अतः, याचिकाकर्ता ने सुसंगत तथ्यों को छिपाया है, जिसके कारण वह सेवा से हटाये जाने के लिए उत्तरदायी है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(9) उत्तरवादीगण ने अपने जवाब के कंडिका 11 में स्पष्ट रूप से यह कहा है कि वर्ष 1999 में पंजीबद्ध अपराध किसी अन्य कालिचरण के विरुद्ध था, न कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध; किंतु वर्ष 1974 में पंजीबद्ध अपराध याचिकाकर्ता के विरुद्ध था। यह त्रुटि इस कारण उत्पन्न हुई कि दोनों कालिचरणों के पिता का नाम समान था। उत्तरवादीगण के अधिवक्ता से पूछे जाने पर यह बताया गया कि वर्ष 1974 में, जब उक्त प्रकरण पंजीबद्ध हुआ, उस समय याचिकाकर्ता की आयु लगभग 9-10 वर्ष थी।

(10) याचिकाकर्ता ने अपने जवाब में स्पष्ट रूप से कहा है कि उस समय (वर्ष 1974 में) वह अवयस्क था, अतः न तो उसे गिरफ्तार किया गया और न ही उसने किसी प्रकार के

विचारण का सामना किया। उत्तरवादी इस तथ्य के समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहे कि वर्ष 1974 में कोई दांडिक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था अथवा याचिकाकर्ता को गिरफ्तार किया गया था।

(11) उत्तरवादीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने, इसके विपरीत, यह निवेदन किया कि यह सत्य है कि वर्ष 1974 में प्रकरण के पंजीकरण से संबंधित कोई अभिलेख पुलिस के पास उपलब्ध नहीं है तथा उस समय याचिकाकर्ता की आयु लगभग 9-10 वर्ष थी। तथापि, जांच के दौरान यह पाया गया कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध एक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था। याचिकाकर्ता को उक्त प्रकरण का विवरण देना चाहिए था, भले ही वह वर्ष 1974 का हो और उस समय वह अवयस्क रहा हो। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि सत्यापन प्रपत्र में आवश्यक विवरण प्रस्तुत न करने के कारण, सुसंगत तथ्यों को छुपाने के आधार पर सेवा से हटाया जाना उचित है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(12) मैंने पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुना तथा अभिलेखों एवं उनसे संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। यह स्पष्ट है कि उत्तरवादीगण का यह कथन कि वर्ष 1974 में याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई दांडिक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था, किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य से समर्थित नहीं है। विशेष रूप से पूछे जाने पर उत्तरवादीगण के अधिवक्ता ने ऐसे किसी अभिलेख की उपलब्धता से इंकार किया। यदि यह मान भी लिया जाए कि ऐसा कोई प्रकरण था, तब भी यह निर्विवाद है कि उस समय याचिकाकर्ता की आयु लगभग 9-10 वर्ष थी और वह अवयस्क था। उसे न तो प्रकरण की जानकारी थी, न ही उसे कभी गिरफ्तार किया गया और न ही उसने कोई विचारण का सामना किया। अंततः वह प्रकरण से मुक्त हो गया। सत्यापन/प्रमाणीकरण प्रपत्र दिनांक 28.03.2006 को भरा गया, जो कि लगभग 32 वर्ष पश्चात् का समय है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि उस समय याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई दांडिक प्रकरण लंबित था।

(13) यह स्थापित विधि सिद्धांत है कि सत्यापन प्रपत्र के विभिन्न स्तंभों में जानकारी माँगने का उद्देश्य अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का परीक्षण एवं सत्यापन करना होता है, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि वह सेवा में बने रहने के लिए उपयुक्त है या

नहीं। इस संदर्भ में **पुलिस आयुक्त, दिल्ली एवं एक अन्य बनाम धवल सिंह**[1], **केंद्रीय विद्यालय संगठन बनाम राम रतन यादव**[2] **और सचिव, गृह सचिव विभाग, आंध्रप्रदेश बनाम बी. चिन्नम नायडू**[3] के निर्णयों में उक्त सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है।

(14) उपर्युक्त स्थापित विधि सिद्धांतों को वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर लागू करने पर यह नहीं कहा जा सकता कि याचिकाकर्ता अकुशल श्रमिक के रूप में सेवा करने हेतु अनुपयुक्त था या उसने कोई महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया अथवा असत्य जानकारी प्रस्तुत की। यहाँ तक कि यदि वर्ष 1974 में प्रकरण के पंजीकरण संबंधी उत्तरवादीगण के कथन को स्वीकार भी कर लिया जाए, तब भी इससे याचिकाकर्ता की सेवा हेतु उपयुक्तता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उस समय वह अवयस्क था। याचिकाकर्ता को न तो गिरफ्तार किया गया था और न ही उसने किसी प्रकार का विचारण का सामना किया था। अतः यह युक्तिसंगत रूप से अपेक्षित है कि 32 वर्ष पश्चात् उसे उस घटना की कोई जानकारी न रही हो और जब उसने नियमित रूप से अकुशल श्रमिक के रूप में सेवा में प्रवेश हेतु सत्यापन/प्रमाणीकरण प्रपत्र भरा, तब उसने उस तथ्य को कोई विशेष महत्व न दिया हो।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(15) उपर्युक्त परिस्थितियों में यह नहीं कहा जा सकता कि याचिकाकर्ता अकुशल श्रमिक के रूप में सेवा में प्रवेश करने अथवा सेवा में बने रहने के लिए अनुपयुक्त है।

(16) उपर्युक्त कारणों के आधार पर, आक्षेपित आदेश दिनांक 15.01.2007 (अनुलग्नक पी./5) अभिखण्डित किया जाता है तथा उत्तरवादी क्रमांक 1 से 3 को निर्देशित किया जाता है कि वे याचिकाकर्ता को तत्काल सेवा में पुनर्स्थापित करें। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया जा रहा है।

1 (1999) 1 SCC 246
2 (2003) 3 SCC 437
3 (2005) 2 SCC 746

सही/-

(सतीश के. अग्निहोत्री)

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur